बरेली पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक 05.07.2025

थाना साइबर क्राइम

साइबर क्राइम नियन्त्रण के लिये गठित टीम द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर 1.29 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले संगठित गिरोह के सक्रिय साइबर अपराधियो के 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली तथा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा साइबर क्राइम सम्बन्धित घटनाओ को गम्भीरता से लिया जा रहा है, जिस की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए गये थे। उक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में थाना साइबर क्राइम बरेली पुलिस व एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त कार्यवाही के दौरान डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी करने वाले संगठित गिरोह के 04 सक्रिय साइबर अपराधियों को दिनांक 05/07/2025 को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 26.06.2025 को श्री शुकदेव नंदी पुत्र श्री पन्नालाल नंदी निवासी आरवीआरआई कैम्पस इज्जतनगर बरेली द्वारा थाना साइबर क्राइम बरेली पर **मु0अ0स0-16/2025 धारा 318(4),319(2),308(6),61(2) व 111 बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट** पंजीकृत कराया गया। जिसके अनुसार वादी को व्हाटसएप काल तथा विडियो कॉल कर खुद को बैगलूरू पुलिस अधिकारी/सीबीआई अधिकारी बताते हुये दिनांक 17.06.2025 से दिनांक 20.06.2025 तक डिजिटल अरेस्ट कर उनको डराया धमकाया कि उनके आधार का प्रयोग कर फर्जी सिम निकालकर हयूमन ट्रैफिकिग व जाब फ्राड कर अवैध धनराशि वादी के खाते ट्रान्सफर हुई है तथा वादी को गिरफ्तारी का भय दिखाकर आडिट के नाम पर **(1,29,00,000/-) एक करोड़ उन्नतीस लाख रूपये** आरटीजीएस के माध्यम से तीन बैक खातो मे ट्रान्सफर करा लिया गया।

डिजीटल अरेस्ट:- डिजिल अरेस्ट कोई कानूनी प्रक्रिया नही है बल्कि साइबर ठगो द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक धोखाधड़ी की तकनीक है। इसमे अपराधी खुद को सरकारी अधिकारी,पुलिस अथवा किसी एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर व्यक्ति को डराते है कि वह किसी अपराध मे फंस गया है और उसे "डिजिटल रूप से गिरफ्तार"किया जा रहा है।

डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है :

- वीडियो कॉल या फोन पर खुद को पुलिस, CBI या कोर्ट का अधिकारी बताकर डराना।
- फर्जी दस्तावेज ,लोगो और पहचान पत्र दिखाकर विश्वास दिलाना।
- मनी लॉन्डिंग, हयूमन ट्रैफिकिग व अवैध धनराशि खाते मे आने का भय दिखाकर आरोप लगाना, धमकाना।
- पीडित को घर मे ही डिजिटल कस्टडी मे रखने की बात कहना।
- बैक खातो मे पैसे ट्रान्सफर करवाना या लोन लेने को मजबूर करना।

अपराध करने का तरीका:-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण साइबर अपराध के संगठित गिरोह के सक्रिय सदस्य है। उक्त अभि0गण ने अपने गिरोह के अन्य सगस्यो के साथ मिलकर वादी को डिजिटल अरेस्ट कर वित्तीय ठगी की गयी है। उक्त गिरफ्तार शुदा अभि0गण विभिन्न खाता धारको की सहमति से कमीशन पर उनका कारपोरेट/करन्ट/सेविग बैक एकाउन्ट प्राप्त करते है तथा इनके गिरोह के अन्य सदस्य, डिजिटल अरेस्ट किये हुये व्यकित का पैसा इन अकाउन्ट मे पडवाते है। इन अकाउन्ट मे आया हुआ पैसा विभिन्न लाभार्थी अकाउन्ट मे ट्रान्सफर किया जाता है, भिन्न-भिन्न बैक खातो मे रूपये ट्रान्सफर कराकर अन्त मे सम्पूर्ण धनराशि को क्रिप्टोकरेन्सी मे बदलकर अपने गिरोह के सदस्यो के क्रिप्टो वॉलेट मे भेज देते है।

अभि0गणो द्वारा अपने गिरोह के अन्य सदस्यो के साथ मिलकर वादी को व्हाटसएप काल तथा विडियो कॉल कर खुद को बैगलूरू पुलिस अधिकारी/ सीबीआई अधिकारी बताते हुये उनको डराया धमकाया कि उनके आधार का प्रयोग कर फर्जी सिम निकालकर हयूमन ट्रैफिकिग व जाब फ्राड कर अवैध धनराशि वादी के खाते ट्रान्सफर हुई है तथा वादी को गिरफ्तारी का भय दिखाकर आडिट के नाम पर (1,29,00,000/-) एक करोड़ उन्नतीस लाख रूपये आरटीजीएस के माध्यम से तीन बैक खातो मे ट्रान्सफर करा लिया गया। उक्त धनराशि को इस गिरोह के सदस्यो द्वारा उसी दिन 125 भिन्न-भिन्न बैक खातो मे ट्रान्सफर कराकर अन्त मे सम्पूर्ण धनराशि को क्रिप्टोकरेन्सी मे बदलकर अपने गिरोह के सदस्यो के क्रिप्टो वॉलेट मे भेज दिया गया है। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण साइबर अपराधियों का एक अंतरराज्यीय गिरोह के सक्रिय सदस्य है, जिसके अन्य सदस्य दिल्ली, महाराष्ट्र,

गुजरात, केरला, आन्ध्रप्रदेश ,तेलगांना ,तमिलनाडु,मध्यप्रदेश,उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि प्रदेशो में फैले हुए है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त: -</u>

1. **सुधीर कुमार चौरसिया पुत्र रामधीरज निवासी लाला बाग दूबग्गा लखनऊ उम्र 26 वर्ष ,शिक्षा –बी.काम ।**
2. **रजनीश द्विवेदी पुत्र रामधर द्विवेदी निवासी खालेगांव थाना धपिया गोण्डा ,उम्र 25 वर्ष ,शिक्षा –बी.ए.।**
3. **श्याम कुमार वर्मा पुत्र राकेश कुमार निवासी रूपपुर मदेगंज खदरा लखनऊ , उम्र 27 वर्ष, शिक्षा-बी.ए.।**
4. **महेन्द्र प्रताप सि पुत्र हरगोविन्द सिह निवासी गंगौत्री बिहार फेस 2 भैसोरा लालकोठी खरगापुर गोमती नगर एक्सटेनशन लखनऊ ,उम्र 30 वर्ष ,शिक्षा- बी.एस.सी।**

<u>बरामदगी का विवरण:-</u>

1- 04 चैक बुक,

2- 06 ATM कार्ड,

3- 06 अदद मोबाइल फोन

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-</u>

1. **प्र0नि0 श्री दिनेश कुमार शर्मा**
2. **हे0का0 धीरज कुमार**
3. **हे0का0 विलिश कुमार**
4. **हे0का0 हरेन्द्र कुमार**
5. **का0 मुक्तेन्द्र देव**
6. **का0 अंकुल सिह**
7. **का0 2923 सिद्दार्थ सिंह**

<u>गिरफ्तार करने वाली एसटीएफ टीम:-</u>

1. **निरी0 श्री अंजनी कुमार पाण्डेय**
2. **निरी0 श्री आदित्य कुमार सिंह**
3. **हे0का0 सुनील कुमार सिंह**
4. **हे0का0 अखिलेश कुमार**
5. **हे0का0 गौरव सिंह**
6. **हे0का0 प्रभाकर पाण्डेय**
7. **हे0का0 शेर बहादुर**

"जागरूक रहे ,सर्तक रहे,साइबर अपराध से सुरक्षित रहे"

<u>साइबर अपराध होने पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन न0 1930 व आनलाइन पोर्टल WWW.CYBERCRIME .GOV.IN पर तत्काल शिकायत दर्ज करे।</u>